

“विज्ञप्ति”

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 62/XXIII- 1/2021/04(01)/2021 देहरादून दिनांक 30 .01. 2021 के अन्तर्गत घोषित उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2021- 22 एवं शासन के पत्र संख्या 98/XXIII- 1/2021/04(01)/2021 दिनांक 12.02.2021 एवं प्रचलित आबकारी नियमों में दी गई व्यवस्था के क्रम में निम्न मदिरा दुकान का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश दिनांक 09.05.2022 के क्रम में निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार समस्त उत्तराखण्ड के निवासी इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र०स०	विवरण	स्थान दिनांक व समय
01	निर्धारित पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि /समय	दिनांक 17.05.2022 को 12:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अल्मोड़ा में।
02	आवेदन पत्र परीक्षण का समय	दिनांक 17.05.2022 को 12:00 बजे से 12.30 बजे तक
03	प्राप्त आवेदन- पत्रों पर लाटरी प्रक्रिया का समय	दिनांक 17.05.2022 को 1.00 बजे से 2.00 बजे तक
04	पूर्ण राजस्व पर आवेदन- पत्र प्राप्त न होने की दशा में अधिकतम राजस्व ऑफर/ प्रस्ताव पर सील बन्द लिफाफे में आवेदन प्रस्तुत करने का समय	दिनांक 17.05.2022 को 2.30 बजे तक
05	ऑफर/प्रस्ताव खोले जाने का समय	दिनांक 17.05.2022 को 3.00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा।

पुनर्व्यवस्थापन हेतु निर्धारित राजस्व का विवरण।

क्र० स०	दुकान का नाम	प्रकार	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अवशेष राजस्व	अनु० शुल्क	कुल अधिभार	प्रतिभूति की धनराशि	घरोहर धनराशि	हैसियत की धनराशि
1	जालली	दे०म०	9691615	97000	9594615	799552	242291	969162
2	अल्मोड़ा न०- 2	वि०म०	106725256	1067000	105658256	8804855	2668131	10672526

उपरोक्त मदिरा की दुकान हेतु इच्छुक पात्र आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, शपथ पत्र, पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड) हैसियत प्रमाण पत्र जी-39 प्रारूप में, निर्धारित घरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, आवेदन शुल्क ₹ 50,000 का बैंक ड्राफ्ट (नॉन रिफंडेबल) जो जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा के पक्ष में देय हो जमा करना होगा। प्राप्त आवेदन पत्रों/ऑफर पर जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित आवेदक/ऑफर दाता से निगोशिएशन उपरान्त अधिकतम प्राप्त राजस्व ऑफर पर दुकान का व्यवस्थापन किया जायेगा।

दुकान के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। दुकान आवंटन होने के पश्चात आवंटी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तत्काल जमा करने के साथ निर्धारित समस्त औपचारिकतायें यथा समय अनिवार्य रूप से पूर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त दुकान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.uk.gov.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

✓ जिला आबकारी अधिकारी
अल्मोड़ा।

कार्यालय: जिला आबकारी अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या: 79 / पाँच आबकारी / पुनर्व्यवस्थापन/दे०/वि०म०/दुकान/अल्मोड़ा/2022- 23/दिनांक मई 9, 2022
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, महोदया, अल्मोड़ा।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. उप आबकारी आयुक्त, आई०टी० अनुभाग, मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।
5. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र- 01 व क्षेत्र- 02, जनपद रानीखेत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अव्यवस्थापित मदिरा दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कर दुकान का पुनर्व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।
6. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण/अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को न्यूनतम सरकारी दर पर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में दिनांक 10.05.2022 के संस्करण में प्रकाशित कर बिल कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

✓ जिला आबकारी अधिकारी,
अल्मोड़ा।